2004 ✓

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJBIL 2000/1717.
J.P.C./3588/02/2003-05
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित
Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 8, शुक्रवार, शाके 1926— जुलाई 30, 2004
Sravana 8, Friday, Saka 1926—July 30, 2004

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2004

संख्या प. 8 (ग) (46)नियम/डीएलबी/93/2016:— राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए.सी.) के अन्तर्गत बनाये गये संलग्न जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 स्वीकृत करती है।

राजस्थान नगरपालिका अभिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए.सी.) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर, एतद्द्वारा उपविधियां बनाता है, नामत:-

जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) उपविधियां, 2004

1. **शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव:-** (क) ये उपविधियां नगर निगम, जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 कहलावेगी।

(ख) ये उपविधियां राजस्थान सरकार से स्वीकृत होकर राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(ग) ये उपविधियां जयपुर नगर निगम की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी।

2. **शाब्दिक परिभाषाएं:-** जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी:-

(क) "महापौर" से तात्पर्य नगरनिगम के महापौर से है।

(ख) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम की धारा 73 (3) के अन्तर्गत नगर निगम की गठित वित्त समिति के अध्यक्ष से है।

(ग) "अनुज्ञा पत्र" (लाईसेंसी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञापत्र से है।

(घ) "अनुज्ञापत्रधारी" (लाईसेंसी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, तथा इसमें इसका अभिकर्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित है।

(ङ) "आयुक्त" से तात्पर्य जयपुर नगर निगम के उस अधिकारी से है जो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

(च) "नगर निगम सूचना पट्ट" से अभिप्रेत निगम द्वारा निर्धारित पट्ट से है जो किसी भी प्रकार से सूचना पत्र, विज्ञापन, वात विपत्र, (होर्डिंग) आदि लगाने अथवा चिपकाने के लिये निगम द्वारा निश्चित किया गया हो।

(छ) "निगम" से अभिप्रेत जयपुर नगर निगम से है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(ज) "विज्ञापन" से अभिप्रेत ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट, प्लेकार्ड, हस्त पत्र, [illegible] चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि चालित विज्ञापन, बैनर, वाल पेन्टिंग, प्रतीक चिन्ह (ऐम्बलम) चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि से है जो किसी भवन, भूमि दीवार या आकाश, चल-अचल वाहन/वस्तुएं पर प्रदर्शित हो तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति/संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करें।

(झ) "परिष्कृत क्षेत्र" (सोफिस्टीकेटेड एरिया) से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जो लाईसेंन्सिंग आथोरिटी द्वारा विज्ञापन समिति की राय से निर्धारित किया जावे।

(य) "विज्ञापन समिति" से अभिप्रेत उस समिति से है जिसका गठन निर्वाचित बोर्ड द्वारा किया जावेगा एवं जिसे एतदर्थ इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ अधिनियम की शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा।

(र) "खतरनाक विज्ञापन प्रदर्श" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रदर्श से है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो परन्तु कोई विज्ञापन केवल दृष्य मात्र होने से खतरनाक नहीं होगा और कौनसा विज्ञापन खतरनाक माना जावे या खतरनाक नहीं माना जावे, इस बारे में निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

(ल) "लघु विज्ञापन पट्ट" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्ट से है जो आकार में 12 फिट ×8 फिट से छोटे हों।

(व) "विज्ञापन संमीक्षा समिति" से अभिप्राय ऐसी समिति से है जो आगे इन उपविधियों में अंकित की गई है।

(स) "निर्दिष्ट स्थान" से तात्पर्य वह स्थान होगा जो निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु स्वीकृत किया जायेगा।

(श) जो शब्द यहाँ परिभाषित नहीं किये गये हैं उनके सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम, 1959 में दी गई परिभाषाऐं लागू होगी।

3. निषेद्ध:- (1) निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन किसी भवन, पुल, आकाश, मार्ग मय फुटपाथ, पेड़, नगर प्राचीर, नगरद्वार बिजली या टेलीफोन के खम्वों, चल-अचल वाहनों/वस्तुओं पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञापत्र के नहीं लगायेगा और ना ही चिपकवायेगा/चित्रित/प्रदर्शित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के किसी भवन, पुल, मार्ग, नगर प्राचीर या नगरद्वार, बिजली व टेलीफोन के खम्वे, चलवाहन, डेयरी बूथों, कियोस्क एवं शुलभ सौचालय, बस सैल्टर्स, रोड डिवाईडर पर नहीं लिखेगा और ना ही चित्रित करेगा तथा ना ही अन्य किसी प्रकार की तस्वीरों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्शित करेगा कि जिनको कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का ख्याल करे। उपरोक्त कृत्य विज्ञापन प्रदर्श है या नहीं इसका निर्णय लाईसेंस आथोरटी द्वारा किया जावेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी, निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते हैं अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हों, किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा न लिखेगा न लिखने की स्वीकृति देगा न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृति देगा।

4. अनुज्ञापत्र प्राप्ति की प्रणाली:-(क) सार्वजनिक स्थलों के निर्दिष्ट स्थानों पर आईरन ऐगिंल का स्ट्रेक्चर लगाकर निगमद्वारा उपबन्धित रीति से विज्ञापन लाईसेंन्सी द्वारा किया जा सकता है, जिसका लाईसेंस खुली नीलामी के अधार पर निर्णित किये जायेंगे, परन्तु यदि विज्ञापन समिति उचित समझें तो इन उपविधियों के अनुरुप मौजूदा विज्ञापन पट्टों का नवीनीकरण विज्ञापन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है। यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राशि से 10 प्रतिशत बढ़ाई जाकर किया जावेगा। लेकिन तीन वर्ष में एक बार नीलामी अवश्य होगी।

(ख) वृक्ष कवंच (ट्री गार्ड्स), रोड डिवाईडरों, बस सैल्टरों, सुलभशौचालयों, डेयरी बूथों, फिल्म पोस्टरों बैनर पट्ट/छोटे विज्ञापन पट्ट/विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग्स) आदि पर विज्ञापन प्रदर्श लाईसेंस खुली नीलामी/बीओटी आधार पर किया जा सकेगा। जिनकी शर्तों का निर्माण विज्ञापन समिति द्वारा किया जावेगा। ट्री गार्ड्स एवं रोड डिवाईडर्स की रेलिंग पर केवल छोटे वृत्ताकार अथवा आयताकार विज्ञापन की ही अनुमति दी जायेगी।

(ग) विद्युत चलित/इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन प्रदर्श निर्धारित स्थानों पर खुली नीलामी के द्वारा दिये जायेंगे।

(घ) यदि आवेदन पत्र नगरपालिका सूचना पट्ट पर चिपकाने के लिये प्रस्तुत हुआ है तो, आवेदक उतनी ही प्रतियां विज्ञापनों के साथ में प्रस्तुत करेगा, जितनी कि वह चिपकाना चाहता है और आवेदन पत्र में उन सब नगरनिगम

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

सूचना पट्टों का विवरण देगा जिन पर चिपकाने का वह इच्छुक है। लेकिन ऐसी सूचनायें अथवा विज्ञापन पत्र 60×80 सेंटीमीटर से अधिक बड़े नहीं होंगे : ऐसे विज्ञापन पत्र की शुल्क (फीस) प्रतिदिन 10 रुपये 60×80 सेन्टीमीटर के हिसाब से होगी। विज्ञापन प्रदर्श अवधि 15 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(ङ) (1) इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ आयुक्त अनुज्ञापत्र प्राधिकारी (लाईसेन्सिंग आथोरिटी) होंगे।

(2) विज्ञापन समीक्षा समिति के अध्यक्ष महापौर होंगे एवं निम्नांकित सदस्य होंगे, जिसकी वर्ष में एक बार बैठक अवश्य बुलानी होगी:-

1. उपमहापौर, जयपुर नगर निगम।
2. विज्ञापन समिति के अध्यक्ष (जिन्हें नगर निगम द्वारा धारा 73 में विज्ञापन प्रदर्श से सम्बन्धित अधिकार प्रत्यायोजित किये हों)।
3. आयुक्त जयपुर नगर निगम जो सदस्य सचिव होंगे।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जयपुर नगर निगम।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम जयपुर।
6. पुलिस अधीक्षक यातायात या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी।
7. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8. अन्य दो व्यक्ति जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि के रुप में नगर निगम द्वारा मनोनीत किया जावे, जो समय-समय पर निगम द्वारा परिवर्तित किये जा सकेंगे।

5. इन उपविधियों की उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र आयुक्त द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा, यदि- (1) आवेदन-पत्र में उपविधियों के क्लॉज संख्या 4 शर्तों की पूर्ति नहीं की गई है।

(2) उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुचित या अवैधानिक है अथवा अशिष्ट या अश्लील हैं या महिला विरुपण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है या नागरिकों के लिये कलेशकर है अथवा उनका प्रदर्शन उसकी दृष्टि में किसी भी अन्य प्रकार से अवांछनीय है या जिनमें अश्लील अथवा नग्न अथवा नशे के चित्र, संकेत या लिखित रुप में प्रदर्शित किये गये हैं।

(3) विज्ञापन से जन शांति भंग होने का अन्देशा हो या सार्वजनिक हित में अथवा जन कल्याण में बाधक हो।

(4) विज्ञापन इन उपविधियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है।

6. आयुक्त को अधिकार होगा कि वह अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे विज्ञापन को चाहें वे मुद्रित हो या लिखित या चित्रित हों या विज्ञापित स्थानों पर लगाये गये हो जिनमें शान्ति भंग होने का अंदेशा हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या जनकल्याण में बाधक हो या उपविधि 5 के अन्तर्गत अस्वीकार किये गये या बिना स्वीकृति लगाये गये हों। यदि पट्ट निजी है और गन्दी व भद्दी हालत में रखा जाता है तो उसे हटा सकेंगे अथवा स्वच्छ करा सकेंगे। लाईसेन्सिग अथोरिटी द्वारा हटाये गये विज्ञापन की क्षति का मुआवजा और हटाने का खर्चा जो भी वह निश्चित करेंगे, उस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा जिसने व जिसका विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

7. प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्शन पट्ट आदि सामान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जावेगा जिसका कि उस पर नाम अंकित है, जब तक कि सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा विपरीत प्रमाणित न हो जावें।

8. इन उप विधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमति पत्र या अनुज्ञा पत्र अहस्तान्तरणीय होंगे। विज्ञापनप्रदर्श पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।

एडवरटाईजिंग एजेन्सीज/संस्थाएं भी अनुज्ञापत्र इन उपविधियों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकेंगे।

9. इन उपविधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन सूचनाएं आदि हटाई या पोतकर स्वच्छ की जावेगी उनके लिए निगम किसी प्रकार की क्षति की उत्तरदायी नहीं होगी और न वह शुल्क राशि ही लौटाई जावेगी जो स्वीकृति के लिए जमा की गई है एवं विज्ञापन के गिरने, अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण हुई आम जन/धन हानि की समस्त जिम्मेदारी विज्ञापनकर्ता की मानी जावेगी। इसके लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

सार्वजनिक मार्ग पर या विज्ञापन प्रदर्शित [illegible]
निजी भवन पर नगर निगम के सूचना पट्ट का निर्माण करना चाहता हो तो उसका किराया अथवा मुआवजा उचित निगम द्वारा निश्चित किया जाकर भवन के स्वामी, विज्ञापनकर्ता को दिया जा सकेगा । विज्ञापन प्रदर्श हेतु भवन उपयुक्ता के सम्बन्ध में विज्ञापनकर्ता को (भार वहन करने की क्षमता) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । विज्ञा पट्टों का साईज लाईसेंस अथोरिटी निश्चित करेंगे ।

11. नगर निगम सूचना पट्ट पर विज्ञापन चिपकाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त का कर्तव्य होगा कि-

(1) यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करता है, तो आवेदक द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन किया जा सकेगा और प्रदर्शन किये जाने वाले विज्ञापन को अनुमोदित करेगा इसके लिए अनुमति जारी करेगा ।

(2) यदि वह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुए उसकी प्रतियां वापस आवेदक को लौटा देगा ।

(3) यदि लौटाई जाने वाली सूचनाओं की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी है, तो वह भी वापस लौटा दी जावेगी ।

12. (1) प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्श हेतु अलग प्रार्थना पत्र मय निर्धारित शुल्क के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । किसी भी व्यक्ति/एडवरटाईजिंग कम्पनी द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्श हेतु इकजाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जावेगा । प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ स्थान का रेखाचित्र जो किसी ड्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया हो दिशा एक विशिष्ट स्थान से सही दूरी आदि की विस्तृत जानकारी हो, विज्ञापन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी लाईसेंसिंग अथोरेटी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार बताई गई हैं, संलग्न करना अनिवार्य होगा । इसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकेगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति अथवा भवन का स्वामी अपने भवन की ऐसी दीवार/छत पर जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होती हो किसी प्रकार का ग्लोसाईन/विज्ञापन बोर्ड लगाना चाहेगा अथवा किसी प्रकार का विज्ञापन लिखने, लिखवाने अथवा चित्रित करेगा या चित्रित करवाने केलिए आवेदन पत्र देगा उसे भी निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञापत्र दिया जा सकेगा:-

(1) निजी भूमि/भवनों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की जो भी अनुमति प्राप्त करेगा वह निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 41 रुपये प्रति वर्गफिट आवेदन के साथ पूरे वर्ष का जमा करवायेगा । इसमें तीन वर्ष पश्चात् नगर निगम जो उचित समझे उस अनुपात में वृद्धि राज्य सरकार की स्वीकृति से कर सकेगा ।

(2) यदि आवेदक स्वयं भूमि/भवन का मालिक नहीं है तो उसे भूमि/भवन के मालिक का ऐसे विज्ञापन लगाने का लिखित स्वीकृति पत्र आवेदन, पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

(3) लाईसेंस की अधिकतम अवधि एक वर्ष रहेगी जो कि वित्तीय वर्ष (अप्रेल से मार्च) के आधार पर मानी जावेगी ।

(4) विज्ञापन दीवार पर ही लिखा या चित्रित किया जावेगा तो लाल, बैंगनी रंग से पेन्ट किया हुआ होने की सूरत में सफेद अक्षरों से और सफेद पेन्ट किया हुआ होने की सूरत में लाल रंग के अक्षरों से लिखना होगा अथवा निगम द्वारा निर्दिष्ट रंग व नाप का होगा ।

(5) ऐसे विज्ञापन की दीवार पर लिखाई अथवा दीवार पर चित्र ठीक और सुन्दर हालत में रखना होगा ।

(6) चल वाहनों पर विज्ञापन का शुल्क देकर विज्ञापन की स्वीकृति लाईसेन्सींग ऑथोरिटी से प्राप्त करनी होगी ।

(7) निजी सम्पत्तियों पर किया गया विज्ञापन किसी भी सूरत में सडक की सतह से 18 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होगा ।

(8) निजी सम्पत्तियों पर अनुमत विज्ञापन की साईज लम्बाई 20'×ऊँचाई20' से अधिक नहीं होगी । विज्ञापनों के मध्य न्यूनतम 1 फिट की दूरी रखनी होगी ।

Scanned with CamScanner

(9) शहर की सौन्दर्यता को बनाये रखने के लिये निगम की शर्तों का पालन करने पर फिल्म पोस्टरों के विज्ञापन करने हेतु दरें अन्य विज्ञापन दरों से भिन्न होगी जो निगम बोर्ड द्वारा निश्चित् की जायेगी एवं शर्तें विज्ञापन समिति निर्धारित करेगी।

13. प्रतिबन्धित:-

(1) कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जावेगा जिससे वाणिज्यिक संस्थान के ऊपर कंगूरों में कोई विकृति हो अथवा ये आच्छादित हो जावें।

(2) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुंडेर पर अनुमत नहीं किया जावेगा। वाणिज्यक संस्थान अपना नाम पट्ट साईज 7'×1' नि:शुल्क लगा सकेगा एवं इसमें किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्श नहीं करेगा।

(3) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ अथवा सडक की ओर झुका हुआ अनुमत नहीं किया जावेगा।

(4) कोई भी विद्युत् चालित विज्ञापन मुख्य सडक के चौराहों के केन्द्र से किसी ऊँचे भवन के सिर पर 40 फिट से कम दूरी पर नहीं लगाया जावेगा।

(5) (I) विज्ञापन होर्डिंग्स किसी दोराहे, तिराहे या चौराहे में रुकावट करते हुए अनुज्ञापित नहीं किया जा सकेगा लेकिन सडक सेंटर से दूरी हर हालत में 30 फीट से कम नहीं होगी।

(II) विज्ञापन होर्डिंग्स का साईज कम से कम 12 फिट×8 फिट का होगा व अधिकतम 20 फिट×20 फिट का होगा इसका निचला भाग जमीन की सतह से 7 फीट की ऊँचाई पर रहेगा तथा जमीन से 7 फीट की अधिक ऊंचाई नहीं ली जायेगी और जमीन से ऊँचाई 27 फिट लम्बाई 20 फिट से अधिक नहीं होगा।

(6) कोई भी विज्ञापन किसी यातायात नियमों के अन्तर्गत प्रदर्शित चिन्ह या पट्ट में अंकित चिन्हों के रंग या नाम से पृथक होगा। ऐसे विज्ञापन द्वारा रुकावट नहीं डाली जावेगी।

(7) कोई भी विज्ञापन प्रदर्श जो यातायात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन में बाधक अथवा खतरनाक (हजार्डअश) हो अनुमत नहीं किया जावेगा, लेकिन विज्ञापन प्रदर्श केवल दृश्य मात्र से यातायात में बाधक/खतरनाक नहीं माना जायेगा।

(8) कोई भी विज्ञापन नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 एवं यथा संशोधित के तहत प्राधिकृत अथोरिटी के द्वारा बनाये गये नियमों निबन्धनों के विरुद्ध नहीं होंगे।

(9) किसी भी सडक के आर-पार किसी प्रकार का कोई विज्ञापन न तो लटकाया जावेगा और न प्रदर्शित किया जावेगा जिससे कि सामान्यत: वाहन चालकों की दृष्टि उन पर पड़े।

(10) नगर प्राचीर व दीवार, सार्वजनिक भवनों कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, राष्ट्रीय स्मारक, पुलों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।

14. मुक्तियां:- जनहित की दृष्टि से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा:-(1) शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात निर्देश, मार्ग सूचक चिन्ह/मानचित्र किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन से कोई विज्ञापन पत्र, सूचना पत्र अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करें या प्रदर्शित करने का निर्देश दें। उदाहरणार्थ सार्वजनिक न्यास द्वारा भूमि विक्रय सम्बन्धी विज्ञापन व पैट्रोल स्टेशनों पर पैट्रोल पम्प सम्बन्धी चिन्ह वृत्ताकार में 2 1/2'×2 1/2' लगा सकेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञापन प्रदर्श में छूट प्रदान की जा सकेगी।

15. कोई व्यक्ति दुकान/व्यवसाय/भवन/दीवार/शटर पर अपना नाम/व्यवसाय का नाम प्रदर्श, अंकित करता है, चित्रित करता है तो उसे सफेद/काला/लाल रंग में चित्रित/अंकित किया जावेगा, किन्तु निर्धारित साईज 7'×1' से अधिक बोर्ड लगाने/चित्रित करने पर नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

16. नगरपालिका हस्तविज्ञप्ति अथवा सूचनाऐं निर्धारित स्थलों पर निःशुल्क चिपकाई जावेगी:-

(1) वे समस्त सूचनाऐं जो नगरपालिकाओं से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होगी।

(2) वे समस्त सूचनाऐं जो विशुद्ध धार्मिक हो अथवा जनहित में उचित प्रतीत होती हो अथवा उपविधि 15 में अंकित है।

17. कोई भी व्यक्ति नगर निगम के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापित विज्ञापन अथवा दीवार पर लिखे या चित्रित किये गये विज्ञापनों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचावेगा।

18. निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय आयुक्त/राजस्व अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में इन उपविधि में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापत्र प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं उपविधियों के अनुसार कार्यवाही करें।

19. इन उपविधियों के उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त को होगा।

20. इन उपविधियों के अन्तर्गत दिये गये किसी भी आदेश की अपील निगम को आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की अवधि में की जा सकेगी। निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय बाद दिया जावेगा, निगम इस उपनियम के अधिकार किसी कमेटी को दे सकेगा।

21. न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापिस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका समझौता नियम, 1966 के प्रावधानानुसार होगा।

22. इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 1000/- रुपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक 200 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा।

23. अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 95 व 268 के अनुसार निगम कोष में हस्तान्तरित की जावेगी।

24. सरकार/न्यायालय के द्वारा प्रतिबन्धित विज्ञापन स्थलों के अतिरिक्त लाइसेंस शुदा विज्ञापन बोर्ड को कोई अन्य विभाग नहीं हटा सकेगा।

25. कोई भी व्यक्ति, संस्था, विभाग, रेल्वे, परिवहन विभाग किसी भी विज्ञापन का प्रदर्श नगरनिगम सीमा क्षेत्र में सड़क/मार्ग से दिखाई देने की स्थिति में इन उपविधियों के अन्तर्गत शुल्क जमा करा कर अनापत्ति प्राप्त कर ही प्रदर्श करेगा। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रदर्श को अवैध मानकर नगर निगम हटा सकेगा।

26. विज्ञापन से सम्बन्धित कोई वाद होने पर विज्ञापन समिति में अपील की जा सकेगी एवं उसका निर्णय होने पर ही वह म्यूनिसिपल बाईलॉज के तहत आगे अपील कर सकेगा।

27. निरसन और व्यावृत्तियां:- इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् नगर परिषद, जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां, 1974 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व में निरसित उपविधियों, उपनियमों, प्रस्ताव, विज्ञप्तियां आदेश के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा बंशर्ते कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत न हो। परन्तु ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित उपविधियों के अधीन की गयी किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गयी किसी शास्ति, समपहरण या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को, प्रभावित नहीं करेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
शिव कुमार शर्मा,
उप शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

ज्येष्ठ 17, शनिवार, शाके 1930–जून 7, 2008
Jyaistha 17, Saturday, Saka 1930– June 7, 2008

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 4, 2008

संख्या प. 8 (ग)(46) नियम/एल.एस.जी./93/पार्ट II/07/858:–नगर निगम, जयपुर ने नगर निगम, जयपुर विज्ञापन उपविधियां 2004 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 90 की उप–धारा (1) के खण्ड (ए–सी) के अन्तर्गत संशोधन कर नगर निगम, जयपुर विज्ञापन (संशोधन) उपविधियां, 2008 बनाई है। उक्त संशोधित उपविधियों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 90 (3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किया जाता है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम सं. 38 सन् 1959) की धारा 90 की उपधारा (1)के खण्ड (ए)(सी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

1. नाम व प्रभावशीलता :–

(i) यह उपविधियां जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां, 2008 कहलाएंगी।

(ii) यह उपविधियां राज–पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगी।

2. "उपविधि" 2 में संशोधन :– "उपविधि" के खण्ड 2 में निम्न संशोधन किया जावेगा :–.

(क) "उपविधि" के खण्ड (ज) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जावेगा–

"(ज) "विज्ञापन" से तात्पर्य ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट प्लेकार्ड, हस्त विपत्र, रेखाचित्र, नाम पट्ट, विद्युत् चालित विज्ञापन, बैनर, प्रतीक चिह्न (ऐम्बलम) वालपेन्टिंग चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि से है जो किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यावसायिक संस्थान, भूमि, दीवार या आकाश, चल वाहन/वस्तुओं पर प्रदर्शित हों तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति/ संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करें।"

(ख) "उपविधि" के खण्ड (ल) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जावेगा–

"(ल) "लघु विज्ञापन पट्ट" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्ट से है जो आकार में 4 फीट X 50 फीट से अधिक ना हो।"

(ग) "उपविधि" के खण्ड (स) के पश्चात् निम्न प्रकार जोड़ा जावेगा–

"(स–क) विज्ञापन शुल्क से तात्पर्य जयपुर नगर निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु लगाए गए शुल्क से है।

(स–ख) निर्धारित आवेदन–पत्र से तात्पर्य ऐसे आवेदन–पत्र से है जिसमें विज्ञापनकर्ता को अपना आवेदन/नवीनीकरण हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स–ग) अस्थाई विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो कि सीमित अवधि हेतु आम रास्तों, निर्माणाधीन भवनों, किसी त्यौहार, समारोह, प्रदर्शनी, राजनैतिक सभा विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के संदर्भ में दरवाजों, पोल पलेग, होर्डिंग

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(अस्थाई), मोबाइल विज्ञापन, सर्विस/डिलेवरी वेन के माध्यम से प्रदर्श करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं।

(स–घ) **पंजीकृत एजेंसी से** तात्पर्य ऐसी एजेंसी से है जो जयपुर नगर निगम सीमा में निजी भूमि/भवन, सरकारी भूमि या भवन पर विज्ञापन प्रदर्श करती है एवं इस प्रयोजनार्थ जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरांत जयपुर नगर निगम से रजिस्टर्ड है।

(स–ड) **दिशा सूचक बोर्ड से** तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो निजी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबंधित हो एवं अपने कार्यालय की स्थिति को निर्देशित करता हो।

(स–च) **विलम्बित** (Abandoned) **नवीनीकरण शुल्क से** तात्पर्य ऐसी फीस लगाने से है जिसमें आवेदक द्वारा विज्ञापन पट्ट का नवीनीकरण का आवेदन-पत्र निर्धारित अवधि के पश्चात् लाइसेंस ऑथोरिटी को प्रस्तुत किया गया हो।

(स–छ) **इलैक्ट्रोनिक डिस्प्ले से** तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जिसका संचालन विद्युत, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, निओन साइन, ग्लोसाइन एल.ई.डी./एल.सी.डी. इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

(स–ज) **विविध विज्ञापन से** तात्पर्य ऐसे विज्ञापनों से है जिनका चित्रण विज्ञापन पट्ट के अंदर विद्युत् बल्ब लगाकर, रोशन किए जावें, या इस तरह के विज्ञापन जोकि बहुकोणों से दर्शनीय हों एवं जिनका पठन सूर्य अस्त के पश्चात् भी हो सके जैसे:- ट्राइविजन एडवरटाइजमेंट (ट्राइएड), बेकलिट एडवरटाइजमेंट, इल्यूमिनिटेड, ग्लोसाइन/ न्योनसाइन इत्यादि।

(स–झ) **स्क्रोलर डिस्प्ले विज्ञापन से** तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्टों से है जोकि इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से चलित होते हैं एवं एक निर्धारित स्थान पर फिक्स किए जाकर स्क्रोलर डिस्प्ले द्वारा विभिन्न विज्ञापनों को प्रदर्श करते हैं।

(स–ञ) **यूनीपोल पर विज्ञापन प्रदर्श से** तात्पर्य ऐसे होर्डिंग स्ट्रेक्चर से है जोकि एक से अधिक आयरन एंगिल से तैयार नहीं किया जाकर एक ही स्टील पाईप पर आधार तैयार किया जाकर विज्ञापन प्रदर्श किया जाता है।

(स–त) **फुट ओवर ब्रिज विज्ञापन से** तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो पदयात्रियों हेतु फुट ओवर ब्रिज एवं अण्डरग्राउण्ड मार्ग पर प्रदर्श किए जावें।

(स–थ) **गेन्ट्री विज्ञापन से** तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो सड़क के ऊपर खम्भों के सहारे सड़क के आर-पार (एक्रोस दी रोड) यातायात को दृश्य होते हुए प्रदर्श किए जाते हैं।

(स–द) **अनाधिकृत विज्ञापन** से तात्पर्य ऐसे प्रदर्श विज्ञापनों से है जिन्हें गत वर्षों में लाइसेंस ऑथोरिटी द्वारा लाइसेंस दिया गया था मगर किन्हीं कारणवश समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया जाकर वर्तमान में भी विज्ञापन प्रदर्श किया जा रहा है एवं बिना सक्षम स्वीकृति के विज्ञापन प्रदर्श किये जा रहे हैं।

(स–ध) **स्वनिर्धारण योजना "एसएएस (एड)" से** तात्पर्य ऐसे विज्ञापन जोकि राजकीय भूमि से पृथक् व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए स्वनिर्धारण योजना एवं नियमों के अंतर्गत प्रदर्श करने हेतु अनुमत होंगे।

(स–न) **बस शैल्टर्स से** तात्पर्य बस में परिवहन हेतु यात्रियों के लिए ऐसे स्थान से है जहां पर यात्री बस के इंतजार के लिए एकत्र होते हैं। बस शैल्टर्स का साइज निगम द्वारा निर्धारित साइज का होगा। विज्ञापन जयपुर नगर निगम द्वारा अनुमत किए गए डिजाईन एवं माप के अनुसार होंगे।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

(स-ट) **कियोस्क से** तात्पर्य बिजली के खम्भों पर लगने वाले विज्ञापन पट्टों से है। विज्ञापन पट्टों का आकार जयपुर नगर निगम द्वारा तय किए अनुसार होगा।

(स-ठ) **आकाशीय बैलून से** तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो जमीनी सतह से ऊपर आकाश में गुब्बारे अर्थात् गैस बैलून पर प्रदर्श किए जावें।

(स-ड) **मार्गों के सौन्दर्यीकरण से** तात्पर्य ऐसे विज्ञापन, जो रोड़ सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत रोड डिवाइडर, सर्किल, तिराहे, फुटपाथ पर रैलिंग के सहारे, ट्री गार्ड पर या नियमों के अधीन स्वीकृत डिजाइनों द्वारा प्रदर्श हों।

(स-ढ) **पुलिस कियोस्क/बूथ पर विज्ञापन से** तात्पर्य है कि यातायात कन्ट्रोल एवं यातायात से संबंधित निर्देश देने हेतु स्थापित कियोस्क/ बूथ/छतरियों आदि पर किए गए विज्ञापन जयपुर नगर निगम से लाइसेंस एवं विज्ञापन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ही विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे।

(स-ण) **जन सुविधाएं हेतु निर्मित सुविधा स्थलों पर विज्ञापन से** तात्पर्य है कि ऐसे स्थान जो जनसुविधा हेतु निर्मित किए गए हैं जैसे:- ट्रांसमिशन टॉवर (मोबाइल फोन कंपनीज), सुलभ शौचालय, डेयरी बूथ, टेलीफोन बूथ, कम्प्यूटर/इंटरनेट बूथ, बैंच, ट्री गार्ड, कचरापात्र, पार्किंग/यातायात बेरिकेटस इत्यादि पर जयपुर नगर निगम में निर्धारित विज्ञापन शुल्क जमा कराने एवं लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे।

(स-प) **स्वविज्ञापन से** तात्पर्य बहुमंजिली ईमारतों में बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्थित प्रतिष्ठानों की स्थिति प्रदर्श करने हेतु निर्देश पट्टीका बोर्ड से है जिस पर संबंधित प्रतिष्ठान का नाम एवं ईमारत में उसकी स्थिति प्रदर्श होती हो। ऐसी पट्टीका सरकारी भूमि/फुटपाथ पर नहीं होगी।

(स-फ) **शोकेस (विण्डो) विज्ञापन से** तात्पर्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निर्मित शोकेस (विण्डो) में रखी विभिन्न वस्तुओं से है जिनसे विज्ञापन का आभास होता है जैसे:- शोकेस में रखे खिलोने, ग्रीटींग कार्ड्स, गिफ्ट आईटमस् संबंधित प्रतिष्ठान में विक्रय किए जाने वाली वस्तुएं इत्यादि जो सार्वजनिक मार्ग से प्रदर्श होती हो।

(स-ब) **प्रदर्शनी स्थल से** तात्पर्य ऐसे स्थल से है जहां विभिन्न प्रकार के सामानों का एक निश्चित् स्थल पर प्रदर्शन/आयोजन किया जाता है।"

3. **"उपविधि" 3 में संशोधन** :-"उपविधि" 3 का (खण्ड 3) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा :-

"(3) कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी, निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देतें हैं अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हों, किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा, न लिखेगा, न लिखने की स्वीकृति देगा, न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृति देगा। अर्थात् व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/ व्यावसायिक संस्थान के अलावा निजी भवनों पर विज्ञापन करना निषेध होगा।"

4. **"उपविधि" 4 में संशोधन** :-"उपविधि" 4 का (खण्ड क) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा -

"(क) सार्वजनिक स्थलों के निर्दिष्ट स्थानों पर यूनिपोल, बैकलिट टावर, विडियोवॉल, ओवरहैड साइनेज (गेन्ट्री), बस शैल्टर्स, फुट ब्रिज, टोयलेट, हाई मास्क लाइट, पुलिस छत्री, टेलीफोन बूथ, डस्टबीन, खम्भों पर लगने वाले कियोस्क, लघु विज्ञापन पट्ट बैनर एवं पोस्टर्स पुलियाओं पर फ्लॉवर पॉट, डिवाईडर/फुटपाथ पर ट्री गार्ड, लगाने के चयनित स्थान एवं समय-समय पर विज्ञापन प्रदर्श करने से सम्बन्धित आने वाली तकनीकी को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा उपबंधित रीति से अन्य प्रकार से

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

विज्ञापन लाइसेंसी द्वारा किया जा सकता है, अनुमत किए गए विज्ञापनों के आकार–प्रकार एवं साइज का निर्णय नगर निगम द्वारा गठित विज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा। जिसका अनुमति पत्र खुली नीलामी के आधार पर निर्णित किये जायेंगे, परन्तु यदि विज्ञापन समिति उचित समझे तो इन उपविधियों के अनुरूप मौजुदा विज्ञापन पट्टों का नवीनीकरण विज्ञापन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है। यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राशि से 10 प्रतिशत बढ़ाई जाकर किया जायेगा। लेकिन तीन वर्ष में एक बार नीलामी आवश्यक होगी। परम्परागत लगने वाले आयरन स्ट्रेक्चरों के होर्डिंग्स नगर निगम द्वारा अनुमत नहीं किए जाएंगे। जयपुर नगर निगम द्वारा जयपुर नगर के सौंदर्यकरण को ध्यान में रखते हुए किन्हीं विशेष सड़कों/मार्गो/रास्तों/चौराहा/दोराहों/ तिराहों के लिए बीओटी बेसिस पर चयन किया जाकर पूर्ण मार्ग को नीलामी द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन करने हेतु दिया जा सकेगा। विज्ञापन का आकार–प्रकार, साइज, ऊंचाई इत्यादि का निर्धारण जयपुर नगर निगम, विज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा"

5. "उपविधि" 10 में संशोधन :–"उपविधि" 10 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा –

"(10) नगर निगम द्वारा निर्देशित स्थान अथवा किसी भी संस्थागत भवन/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यावसायिक संस्थान जो कि सार्वजनिक मार्ग पर हो पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे बशर्ते कि स्वच्छ वायु एवं प्रकाश पर कुप्रभाव न पड़े।"

6. "उपविधि" 12 में संशोधन :–"उपविधि" 12 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा –

"(12) (1) प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्श हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा अलग–अलग प्रार्थना–पत्र मय निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आवेदक द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्श हेतु इकजाई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके आधार में प्रार्थना–पत्र खारिज किया जा सकेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान का स्वामी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होती हो किसी प्रकार का लघु विज्ञापन पट्ट (ग्लोसाईन, न्योन साईन, विज्ञापन पट्ट इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन, फ्लेक्स इत्यादि) लगाना चाहेगा आवेदन–पत्र आयुक्त अर्थात लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को प्रस्तुत करेगा, जिसे निम्नानुसार विज्ञापन शुल्क जमा कराने पर अनुज्ञा–पत्र जारी किया जा सकेगा:–

(i) किसी प्रकार के होर्डिंग स्ट्रेक्चर की स्वीकृति निजी भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नहीं दी जा सकेगी। निजी खाली भूखण्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहे तो नगर निगम में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम द्वारा अनुमत साइज डिजाइन का विज्ञापन प्रदर्श किया जा सकेगा। खाली भूखण्ड पर लगाये जाने वाले विज्ञापन की ऊंचाई सार्वजनिक भवनों, प्राचीरों एवं एतिहासिक महत्व की पुरातत्व इमारतों की ऊंचाई से ऊपर नहीं होगी। ऐसे समस्त प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क उस क्षेत्र की पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गयी साइटों के ओसत प्रति वर्ग फुट से आधी राशि होगी। नवीनीकरण भी इसी नीति द्वारा किया जायेगा।

(ii) लघु विज्ञापन पट्ट की अधिकतम चौड़ाई 4 फीट एवं लम्बाई 50 फीट से अधिक नहीं होगी अर्थात् लघु विज्ञापन पट्ट व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर समानान्तर लगाने होंगे, लम्बवत नहीं लगाए जा सकेंगे।

(iii) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर केवल मंजिल दर मंजिल ही लघु विज्ञापन प्रदर्श हो सकेंगे। वेन्टीलेटर्स (दरवाजे, खिडकी, रोशनदान इत्यादि) खुले रखने होंगे अर्थात् वेन्टीलेटर्स के आगे लघु विज्ञापन पट्ट प्रदर्श कर अवरुद्ध नहीं किए जा सकेंगे। बहुमंजिले व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिनमें विज्ञापन प्रदर्श हेतु विशेष स्थान निर्माण के दौरान छोड़े गये हैं, उन स्थानों पर नगर निगम की पूर्व स्वीकृति से विज्ञापन प्रदर्श किये जा सकेंगे। ऐसे समस्त प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क उस क्षेत्र की

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गई साइटों के औसत प्रति व.फु. से आधी होगी।

(iv) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर स्वयं के व्यवसाय का 4'x50' तक लघु विज्ञापन पट्ट लगाने की जो भी अनुमति प्राप्त करेगा वह निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 100/- रु. प्रति वर्ग फीट मुख्य मार्गों पर एवं अन्य रास्तों पर 50/- प्रति व.फु. आवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की राशि जमा करवाएगा। मुख्य मार्ग, अन्य मार्ग का निर्धारण विज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा। अपने प्रतिष्ठान में चल रहे व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के विज्ञापन प्रदर्श करने पर उस क्षेत्र की पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गयी साइटों के औसत प्रति वर्ग फुट से आधी राशि होगी। जिसकी अनुमति जयपुर नगर निगम से विज्ञापन प्रदर्श करने से पूर्व लेना आवश्यक होगा। साईज 4 फीट x 50 फीट से अधिक नहीं होगी।

(v) अनुमति पत्र की अधिकतम अवधि एक वर्ष की रहेगी जोकि वित्तीय वर्ष (अप्रेल से मार्च) के आधार पर मानी जावेगी। अनुमति पत्र अवधि की न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।

(vi) किसी भी प्रकार का विज्ञापन एवं सूचना निजी/सरकारी भवनों/प्राचीरों/दरवाजों/ ऐतिहासिक महत्व के स्मारक/सार्वजनिक पुल की दीवारों पर चित्रित/प्रदर्श करने की अनुमति नहीं होगी।

(vii) कोई भी संस्था, विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, केन्द्रीय/राजकीय सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/संस्थाऐं अपने भवन की छत को छोड़ते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्वयं की भूमि पर नगर निगम की स्वीकृति से अपने विभाग से संबंधित सूचनाएं/विज्ञापन प्रदर्श कर सकेंगे जिसका आकार-प्रकार एवं डिजाइन भी नगर निगम से स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा BOT एवं अन्य ऐसी पद्धति से कराया गया किसी भी प्रकार का कार्य जिस पर विज्ञापन प्रदर्श हो नगर निगम की एन.ओ.सी. प्राप्त किये बिना नहीं करायेगा एवं BOT पर कराये जा रहे कार्य पर होने वाले विज्ञापन पर नियम 12(2)1 अनुसार विज्ञापन शुल्क देय होगा।

(viii) चल वाहनों पर विज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

(a) ऐसे वाहन जो वस्तु के उत्पादन द्वारा वस्तु के आयात-निर्यात में काम आते हैं उन पर लिखे गए विज्ञापन की दर 100/-रु. प्रति वर्ग फीट होगी।

(b) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन एवं इससे अनुबंधित वाहन/निजी सवारी बसें/टैम्पों आदि पर लिखे गए विज्ञापन की दर 100/-रु. प्रति वर्ग फीट होगी।

(c) ऐसे वाहन जो विज्ञापन प्रदर्श हेतु ही निर्मित किए गए हैं, ऐसे वाहनों पर प्रदर्श विज्ञापन की दर 1100/-रु. प्रति वर्ग फीट होगी।

(d) ऐसे वाहन/पशु/पशु वाहन जो उत्पाद को विक्रय की दृष्टि से रोड शो के उपयोग में आते हैं उनसे अधिकतम सात दिवस हेतु 50/-रु. प्रति वर्ग फीट की दर से विज्ञापन शुल्क लिया जाएगा परन्तु 7 दिवस से अधिक दिवस हेतु अगर रोड शो किया जाता है तो दर 100/-रु. प्रति वर्ग फीट होगी। परन्तु एक माह से अधिक रोड शो किये जाने की दशा में 1100/-रु. प्रति वर्ग फुट हिसाब से शुल्क देय होगा।

उपरोक्त दरें वित्तीय वर्ष (अप्रेल-मार्च) के लिए लागू होंगी। अनुमति पत्र की अवधि न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(ix) आकाश में गैस बैलून द्वारा प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क 100/-रु. प्रति वर्ग फीट देय होगा। लाईसेंस अवधि की न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।

(x) निगम द्वारा बैनर्स/फिल्मी पोस्टर्स/पोस्टर्स के लिए स्थान चयनित किए जाएंगे निगम द्वारा चयनित स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्श हेतु नीलामी की जावेगी।

(xi) गैर व्यवसायिक जैसे धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक, राजनैतिक सूचनाएं जयपुर नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाई जा सकेंगी, इनके लिए निम्नानुसार व्यवस्था रहेगीः-निगम द्वारा चिह्नित एवं निर्धारित स्थानों पर निश्चित साईज के सूचना पट्ट लगाने हेतु आवेदनकर्ता को प्रदर्श करने वाली सूचना के साथ प्रथम 7 दिवस के लिए 50/-रु. का शुल्क प्रति साइट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 7 दिन के पश्चात् अधिकतम 15 दिन के लिए 100/-रु. प्रति वर्ग फीट की दर से 7 दिन की अवधि पूर्ण होने से पूर्व राशि जमा करवाते हुए जयपुर नगर निगम से पूर्व अनुमति पुनः प्राप्त करनी होगी। 15 दिन से ज्यादा समयावधि नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

(xii) जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित एवं चिह्नित स्थानों पर ऐसे विज्ञापनकर्ता भी विज्ञापन 100/-रु. प्रति वर्ग फीट निगम से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगा सकेंगे जो कि निकट भविष्य में अपने प्रतिष्ठानों का उद्घाटन/शुभारम्भ कर रहे हैं। यह अनुमति अस्थाई रूप से अधिकतम 7 दिवस के लिए होगी।

(xiii) जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित विभिन्न कंपनियों के पैट्रोल पम्पों पर जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित डिजाइन, साइज, आकार-प्रकार के अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन ही प्रदर्श किये जा सकेंगे जिनकी दर 100/- प्रति वर्गफीट प्रति वर्ष होगी। विज्ञापन करने से पूर्व निगम से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

(xiv) दीपावली, ईद, क्रिसमस, तीज, गणगौर, राजस्थान समारोह, जयपुर समारोह आदि त्यौहारों पर बाजारों में विशेष सजावट पर व्यापार मण्डलों/संस्थाओं व्यक्ति विशेष द्वारा सार्वजनिक मार्गो/रास्तो पर सामूहिक सजावट के दौरान किये जाने वाले विज्ञापनो के लिए विज्ञापन समिति निर्धारित विज्ञापन शुल्क तय करेगी जो राशि देकर एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही विज्ञापन करा सकेगा। यह सुविधा शहर की चार दिवारी में भी देय होगी। सजावट विज्ञापन अवधि 7 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(xv) शासकीय/अर्द्धशासकीय उपक्रम व विभागों इत्यादि को भी उक्त उपविधियों की अनुपालना करनी होगी।

उपरोक्त वर्णित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7. "उपविधि" 13 में संशोधन :-

(क) "उपविधि" 13 के खण्ड 5 (ii) को विलोपित किया जाता है।

(ख) "उपविधि" 13 के खण्ड 5 (ix) को विलोपित किया जाता है।

(ग) "उपविधि" 13 के खण्ड 10 के पश्चात् (11) निम्न प्रकार जोड़ा जावेगा-

"(11) किसी भी व्यक्ति को शहर की चारदीवारी के अंदर किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने, चित्रित करने या चित्रित करवाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।"

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

8. "उपविधि" 18 में संशोधन – "उपविधि" 18 में शब्द "राजस्व अधिकारी" के पश्चात् एवं शब्द "का" के पहले शब्द "/राजस्व निरीक्षक/सहा. राजस्व निरीक्षक" जोड़ा जावेगा।

9. "उपविधि" 25 में संशोधन – "उपविधि" 25 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित की जावेगी :–

"25 कोई भी व्यक्ति, संस्था, विभाग, रेल्वे, परिवहन विभाग, केन्द्रीय/राजकीय सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/संस्थाऐं अपने भवनों पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में विज्ञापन नहीं कर सकेंगे।

अपितु उपरोक्त विभागों/संस्थाओं द्वारा अपनी प्रिमिसेज में ऐसे विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे जो सार्वजनिक भवनों/मार्गों/पुलिया/मैदानों/पार्कों या सार्वजनिक स्थानों से नहीं दिखते हों, मात्र उनके प्रिमिसेज के अंदर ही प्रदर्श होते हों।"

आज्ञा से,
ओ. पी. हर्ष,
उप शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner